

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/स्था0-02A-विविध-06/2024.....194...../ पटना, दिनांक- 03/7/25

कार्यालय आदेश

बापू टावर समिति के नियम एवं विनियम की कंडिका-14(ii) के आलोक में गठित किये जाने वाले बापू टावर की वित्तीय समिति हेतु भवन निर्माण विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री ललित कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-उप निदेशक बापू टावर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाए।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(नीरज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था0-02A-विविध-06/2024..... पटना, दिनांक-

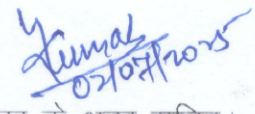
प्रतिलिपि- निदेशक, बापू टावर, (भवन निर्माण विभाग), बिहार, पटना को उनके पत्रांक-242 दिनांक-18.06.2025 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- भवन/स्था0-02A-विविध-06/2024.....6177(म) पटना, दिनांक- 03/7/25

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/श्री ललित कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।
Shivam